Conn 1785/IV/17

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

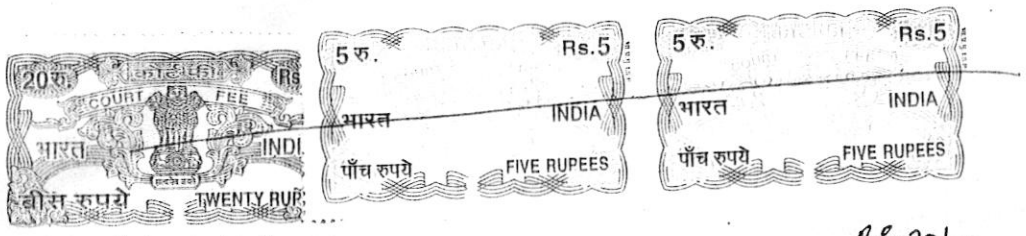

20रु. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

RS. 30/-

बाल कुमार पिता स्व0 जागेश्वर प्रसाद उम्र 54 वर्ष जाति सोनी निवासी ग्राम बिरसिंहपुर पाली, वार्ड नं0 11 थाना एवं तह0 पाली जिला उमरिया (म0प्र0)

.... अपीलांट

अधिवक्ता श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत 06-6-17

बनाम

म0प्र0 शासन

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

.... रेस्पांडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा प्रकरण क0 118/अपील/2013–14 में पारित आदेश दि0 11/12/2014

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य–

अपीलान्ट बालकुमार ग्राम बिरसिंहपुर पाली वार्ड नं0 11 जिला उमरिया का मूल निवासी है। अपीलान्ट के पास ग्राम पाली में आराजी खसरा नं0 57/1 अंश रकवा 0.104 हे0 स्वामित्व की भूमि है। अपीलान्ट को अपने के स्वयं के रोजगार हेतु रूपयों की आवश्यकता होने पर एवं अन्य कहीं से रूपया न मिल पाने के कारण भूमि आ0नं0 57/1 अंश रकवा 0.104 हे0 के विकय हेतु कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। आवेदक के आवेदन पत्र पर एस0डी0ओ0 पाली से प्रतिवेदन मंगाया गया। एस0डी0ओ0 पाली द्वारा प्रकरण क0 5/अ/21/12–13 दिनांक 23/08/2013 से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि विकय की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु कलेक्टर उमरिया द्वारा धारा 165 (6) (1) म0प्र0भू0रा0सं0 के अंतर्गत केता अनुसूचित जन जाति के नहीं होने के कारण अपीलान्ट के भूमि विकय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को दिनांक 10/02/2014 को निरस्त कर दिया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1785–तीन/17 निगरानी जिला –उमरिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह अपील अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण कमांक 118/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–12–2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत राजस्व मण्डल , म0प्र0 ग्वालियर में दिनांक 6–6–2017 को अर्थात आदेश पारित होने के लगभग 2 वर्ष 6 माह विलम्ब प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर एंव अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 11–12–14 के विरूद्व आवेदक ने पुर्नविलोकन आवेदन प्रस्तुत किया था जो दिनांक 11–8–16 को निर्णीत कर दिया गया, किन्तु आदेश की कोई जानकारी आवेदक को नहीं दी गई। पुनरावलोकन में व्यतीत समय को गणित करके इस अपील को समयावधि में माना जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने से परिलक्षित है कि पुर्नविलोकन प्रकरण में जब आवेदक अथवा उनके अभिभाषक ने अंतिम तर्क किये थे, उनका दायित्व था कि वह कलेक्टर न्यायालय में पहुंचकर पुर्नविलोकन आदेश की जानकारी यथासमय प्राप्त करते । यदि पुर्नविलोकन में व्यतीत समय आदेश दिनांक 11–8–16 तक मुक्ति प्रदान की जावे तब भी यह अपील 6–6–2017 को प्रस्तुत की गई है अर्थात 11–8–16 से 6–6–17 तक की व्यतीत अवधि के दिन–प्रतिदिन का	

हिसाव नहीं दिया गया है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी अत्याधिक विलम्ब से है । अपर आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्रकरण कमांक 118/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–12–2014 के विरूद्व आवेदक स्वच्छ मन से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है जिसके कारण दूसरे पक्षकार के हितों को देखते हुये अनुचित विलम्ब को क्षमा करना संभव नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य